# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2020RAAJu225RTA02 Baaluram Vs Gheesulal etc

बालूराम पुत्र पूनाराम पटेल (सीह)
निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

**ब**

**ना**

**म**

1. घीसूलाल पुत्र धनराज घांची
   निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लूणी
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 26 फरवरी 2018 इजराय प्रार्थनापत्र संख्या 01/2018 घीसूलाल बनाम बालूराम इत्यादि**

----- 0 -----

**उपस्थित-**

श्री बी.आर. चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, सजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

## आ दे श

**दिनांक : 14.01.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व इजराय प्रार्थनापत्र संख्या 01/2018 घीसालाल बनाम बालूराम आदि में पारित आदेश दिनांक 26 फरवरी 2018 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. घीसूलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 412/3 रकबा 13 बीघा बारानी सोयम वाके मौजा लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा जबरन वादी-रेस्पो. की खातेदारी की कृषि भूमि पर अतिकमण कर लिया गया है, अतः अतिकमण हटाया जाकर वादी-रेस्पो. को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाया जावे। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 जून 2017 को डिकी किया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 37/2019 अनवान बालूराम बनाम घीसूलाल दिनांक 14 जनवरी 2020 को खारिज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 2017 की कियान्विति हेतु वादी-रेस्पो. की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो दिनांक 26 फरवरी 2018 को दर्ज किया जाकर तहसीलदार लूणी को नियमानुसार पुलिस इमदाद प्राप्त कर निर्णय की पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत आदेश दिया गया। जिसके खिलाफ प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट मूल रूप से ग्राम लूणी का मूल निवासी है, उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य भी वादग्रस्त आराजी एवं उसके आसपास ही निवास कर रहे है, वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा अपीलाण्ट के कुटुम्ब के सदस्य के नाम जारी हुआ था, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय भी अपीलाण्ट व उसके कुटुम्ब के लोगों का ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार इस भूमि पर था, मगर मानवीय भूल से यह भूमि सिवाय चक या खालसा दर्ज कर दी गयी। मारवाड स्टेट ऑफ जोधपुर द्वारा किये गये भूमि के प्रथम सेटलमेण्ट संवत 1999 में जब बापी पट्टे जारी किये गये थो, तो परिवार के पूर्वज रामा पुत्र खीमा (सांवरीया) के नाम जारी किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट के कुटुम्ब-परिवारजनों का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो जाने व सिवायचक या खालसा दर्ज हो जाने का ज्ञान नहीं था, इस कारण किसी प्रकार की कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि वक्त सेण्टलमेण्ट बसावट वाले रकबे के अतिरिक्त उक्त आराजी गोचर दर्ज की गयी और चूकि अपीलाण्ट का कब्जा बसावट वाले रकबे में था, इस कारण उसके खिलाफ कभी अतिकमण की कार्यवाही भी नहीं हुई। रेस्पो. द्वारा बाले-बाले कार्यवाही की जाकर वादग्रस्त भूमि जब अपने नाम आवण्टित करवा ली गयी, तब राजस्व रिकार्ड में अनियमितता बाबत अपीलाण्ट को भान हुआ।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि इस प्रकार जिस निर्णय एवं डिकी की इजराय के लिए रेस्पो. द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिकी अपने आप में विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है और इस निमित्त अदालत हाजा में अपील भी पेश की हुई है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट को जानकारी तब हुई जब बेदखली इजराय कार्यवाही हेतु राजस्व नुमाईंदे मौके पर आये, इससे पहले अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट को न्यायालय का मुख्यालय बदल जाने से पूर्व नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मना करने एवं नये अधिवक्ता की नियुक्ति की जानकारी अनपढ होने के कारण नहीं होपायी। अपीलाधीन आदेश न्यायालय मुख्यालय पर पारित नहीं किया जाकर कैम्प कोर्ट डोली में किया गया, जिसकी कोई अपीलाण्ट को नहीं दी गयी, इस कारण भी समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत 11 मार्च 2019 को प्रथम बार अपीलाण्ट की जानकारी में आया और तब अन्य अधिवक्ता से हस्तगत प्रकरण का पता करवाया तथा नकलें आदि प्राप्त कर आलौच्य अपील पेश की है।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियाद-बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 28 जनवरी 2016 को अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद 27 अक्तूबर 2016 तक जबाबदावा पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके जबाब का अवसर बंद किया गया है। अब अपील स्तर पर अपीलाण्ट की ओर से यह कहा जाना कि

... अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब का अवसर बंद करने के पूर्व कब कब जबाब पेश करने हेतु और अतिरिक्त अवसर दिये जाने की मांग की गयी, इसका विवरण पेश नहीं किया गया, कतई उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील पेश करने में हुए अप्रत्याशित विलम्ब के संबंध में भी एतराज उठाया और कथन किया कि दावा इकतरफा निर्णित हो और प्रस्तुत शपथपत्रों का कोई खण्डन नहीं हो तो उसके हूबहू माना जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये। आलौच्य अपील में गुणावगुण पर अपीलाण्ट की ओर से कोई ऐसा सारवान तथ्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अपीलाधीन आदेश में कोई मूलभूत संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता हो। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण मियाद जैसे तकनिकी बिन्दु की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण पर प्रकरण में स्थिति इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2017 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 2020RAAJu223RTA02 Baaluram Vs Gheesulal etc दिनांक 14 जनवरी 2020 को खारिज की जा चुकी है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अब वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2017 के संबंध में अधिक कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बेदखली का दायी है। ऐसा स्थिति में आलोच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 फरवरी 2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर